राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि०,

पश्चिम ब्लॉक, नेहरू सहकार भवन, 22 गोदाम सर्किल, जयपुर
Phone No. : 0141-2740440, 2740553, Fax No. : 0141-2740930, 2740440
email : rajsldbjaipur@yahoo.co.in, website : www.rsldb.nic.in

क्रमांकः आयो.विकास / मोर्टगेज ऋण / 2014–15 / 30899-919 दिनॉक : 02.03.2015

सचिव,
सहकारी भूमि विकास बैंक लि.,
(14)

विषय : राजस्थान सहकारी सोसाईटी अधिनियम 201 की धारा 67 के प्रावधानानुसार मोर्टगेज ऋण योजना की क्रियान्वयन के सम्बन्ध में ।

कृपया इस बैंक के पत्र क्रमांकः आयो. विकास / मोर्टगेज ऋण / 2014–15 / 13449–79 दिनॉक 02.09.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त पत्र द्वारा भिजवाई गई योजना 30.06.2014 को 50.00 प्रतिशत से अधिक वसूली वाले प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों में ही लागू की गई है जिसके अन्तर्गत ऋणियों से 15.00 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लिए जाने का प्रावधान था।

ऋणियों से वसूल की जाने वाली ब्याज दरों में कमी करने के सम्बन्ध में प्राथमिक बैंकों की मॉग एवं व्यवसाय में वृद्धि को मध्येनजर दिनांक 01.03.2015 से मध्यम एवं दीर्घकालीन उद्देश्यों पर ऋणीयों से वसूल की जाने वाली जो भी प्रभावी ब्याज दर रहती है, वही ब्याज दर मोर्टगेज ऋण पर भी लागू होंगी।

तत्काल सन्दर्भ के लिए उल्लेखनीय है कि सभी प्रकार के मध्यम एवं दीर्घकालीन उद्येश्यों हेतु दिनांक 01.03.2015 से ब्याज दरें 12.90 प्रतिशत वार्षिक लागू की गई हैं।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्त योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में अधिकाधिक ऋणी सदस्यों को ऋण वितरण कर लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित करें।

2.3.15

(के.के. गुप्ता)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-
क्षेत्रीय प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय (5)

उप महाप्रबन्धक (लो.वि.)

D:\bhanwar\letters.doc

240

कार्यालय टिप्पणी

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि०,

पश्चिम ब्लॉक, नेहरू सहकार भवन, 22 गोदाम सर्किल, जयपुर
Phone No. : 0141-2740440, 2740760, Fax No. : 0141-2740930, 2740440
email : rajsldbjaipur@yahoo.co.in. website : www.rsldb.nic.in

निर्णय संख्या : 156 दिनांक : 2/3/15

प्रस्ताव :– मोर्टगेज ऋण योजनान्तर्गत प्रभावी ब्याज दर में कमी किये करने पर विचार।

निर्णय :– मोर्टगेज ऋण योजनान्तर्गत प्रभावी ब्याज दर में कमी किये करने के सम्बन्ध में प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के अनुरोध पर विचार करने के उपरान्त निर्णय लिया जाता है कि मध्यम एवं दीर्घकालीन उद्येश्यों पर ऋणियों से वसूली की जाने वाली जो भी ब्याज दर प्रभावी रहती हैं वही ब्याज दर पर मोर्टगेज ऋण पर लागू होंगी।

प्रबन्ध निदेशक

प्रशासक

कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान, जयपुर

कमांक फा.50(3)सविरा/मोने/एस.ए/मोर्टगेज ऋण योजना/2013 दिनांक 19/8/14

प्रबन्ध निदेशक,
राजस्थान राज्य सहकारी
भूमि विकास बैंक लि., जयपुर

विषय : राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 67 के प्रावधानानुसार मोर्टगेज ऋण योजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रसंग : आपका पत्रांक:फा.आयो.विकास/मो.ऋ.योजना/2013–14/7713 दिनांक 26.6.2014

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से प्राप्त बैंक के संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 23.5.2014 के निर्णय संख्या 5(8) के कम में संशोधित मोर्टगेज ऋण योजना उपभोक्ता सामग्री कय उद्देश्य हेतु प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों में लागु किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(अनुराग भारद्वाज)
रजिस्ट्रार

मॉगेज ऋण योजना

1.	योजना का नाम	–	मॉगेज ऋण योजना
2.	उद्देश्य	–	योजनान्तर्गत लाभार्थी/लाभार्थियों को उपभोक्ता सामग्री क्रय करने हेतु ऋण उपलब्ध करवाना।
3.	पात्रता	–	1. लाभार्थी संबंधित प्राथमिक बैंक के कार्य क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। 2. लाभार्थी की रहन हेतु अचल सम्पत्ति उसी प्राथमिक बैंक के कार्य क्षेत्र में स्थित होनी चाहिए। 3. मॉगेज ऋण बैंक के वर्तमान ऋणी सदस्यों एवं नये सदस्यो को देय होगा। 4. इस योजनान्तर्गत नये सदस्यो के लिए प्रस्तुत रहन प्रतिभूति (कृषि भूमि/अन्य अचल सम्पत्ति), गत 3 वर्षों की औसत डीएलसी दरो का 50 प्रतिशत राशि अधिकतम रू. 5.00 लाख तक ऋण देय होगा। 5. लाभार्थी द्वारा कृषि भूमि के अलावा अन्य अचल सम्पति रहन हेतु प्रस्तुत की जाती है तो उस सम्पत्ति की डीएलसी दरों के आधार पर संगणित मूल्य की अच्छे ऋण चुकारा करने वाले प्रार्थियों अर्थात पिछले 2 वर्षों से नियमित किस्तें चुका रहे हो के संगणित मूल्य की 75 प्रतिशत और नये ऋणी सदस्यो को 50 प्रतिशत तक ऋण देय होगा।

			6. बैंक के अच्छे ऋणी सदस्य जो गत दो वर्षो से नियमित किस्तो का चुकारा कर रहे है उनको प्रस्तुत रहन प्रतिभूति (कृषि भूमि/अन्य अचल सम्पत्ति) गत 3 वर्षो की औसत डीएलसी दरो का 75 प्रतिशत राशि तक ऋण देय होगा। **7. उक्त योजनान्तर्गत केवल वही प्राथमिक बैंक मॉरगेज ऋण वितरण करने योग्य होगे जिनकी वसूली 50 प्रतिशत या उससे अधिक है।**
4.	ऋण राशि	–	**मॉरगेज ऋण की अधिकतम सीमा रू. 5.00 लाख होगी।** प्रार्थी द्वारा योजनान्तर्गत मांग की गई राशि के संबंध में यदि प्रार्थी द्वारा पूर्व में बैंक से ऋण लिया हुआ है तो वर्तमान में आँकी गई ऋण क्षमता में से बकाया ऋण कम करने के पश्चात् शेष राशि को ध्यान में रखते हुए ऋण स्वीकृत किया जायेगा।
5.	ऋण की चुकौती अवधि एवं किस्तो का निर्धारण	–	ऋण की प्रकृति के अनुरूप मॉरगेज ऋण की चुकौती अवधि ऋण के अनुरूप एक से अधिकतम पांच वर्ष की होगी। ऋण का चुकारा प्राथमिक बैंक प्रार्थी की आय के अनुरूप मासिक, [illegible] [illegible] एवं [illegible] तय [illegible]।
6.	प्रभावी ब्याज दर	–	लाभार्थी को मॉरगेज [illegible] 15 प्रतिशत [illegible] [illegible] पर [illegible] [illegible] नहीं करने पर [illegible] प्रतिशत की दर से [illegible] ब्याज वसूल किया [illegible] की गणना मासिक [illegible], अर्धवार्षिक [illegible]

7.	ऋण पुर्नभुगतान क्षमता का आंकलन	—	ऋण की पुर्नभुगतान क्षमता का आंकलन :– (1) ऋण की पुर्नभुगतान क्षमता शुद्ध आय के अधिकतम 40 प्रतिशत के बराबर होगी। (2) वेतन भोगी कर्मचारी के संबंध ऋण की पुर्नभुगतान क्षमता शुद्ध आय में से कटौतियों को कम करते हुए अधिकतम 40 प्रतिशत के बराबर होगी।
8.	ऋण की प्रतिभूति / सुरक्षा	—	1. नये कैसेज में (जो बैंक के ऋणी सदस्य नहीं है।) मौंगेज ऋण हेतु लाभार्थी द्वारा जिस अचल सम्पत्ति पर ऋण लिया जा रहा है के मूल दस्तावेज प्राथमिक बैंक में रहन रखे जायेगें। 2. प्रार्थी द्वारा प्राप्त ऋण और उस पर लगाये ब्याज के पूर्ण भुगतान के लिए बैंक को आर्थिक क्षमता वाले एक व्यक्ति की जमानत देनी होगी। 3. बैंक द्वारा निर्धारित मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक किस्तो के अग्रिम चैक पुर्नभुगतान अवधि के अनुरूप पूर्ण रूप से बैंक के पक्ष में भरकर जमा कराने होगे।
9.	हिस्सा राशि	—	ऋणी को ऋण राशि का 3 प्रतिशत हिस्सा राशि के रूप में देना होगा।
10.	अन्य शर्ते	—	1. योजना हेतु आवश्यक वित्तीय स्त्रोत प्राथमिक बैंको को अपने स्वयं के स्तर से जुटाने होंगे। इस योजना हेतु राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा किसी भी प्रकार का पुनर्भरण नहीं किया जायेगा।